



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21032026-271115  
CG-DL-E-21032026-271115

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 67]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 19, 2026/फाल्गुन 28, 1947

No. 67]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 19, 2026/PHALGUNA 28, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मार्च, 2026

(मामला सं. एडी (एसएसआर) 01/2026)

(सेतु मामला आई.डी.एडी/एसएसआर/002/2026)

**विषय:** चीन जन. गण. से आयातित, एरोमैटिक या हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के एसीटो एसिटाइल डेरिवेटिव्स, जिन्हें एरिलाइड्स भी कहा जाता है, के आयातों के संबंध में निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत।

1. फा. सं. 7/04/2026-डीजीटीआर.—समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे इसके बाद 'नियमावली' के रूप में कहा गया है) के अनुसार, मैसर्स लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जिसे इसके बाद 'आवेदक' के रूप में कहा गया है) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद 'प्राधिकारी' के रूप में कहा गया है) के समक्ष चीन जन. गण. (जिसे इसके बाद 'संबद्ध देश' के रूप में कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'एसिटो एसिटिल डेरिवेटिव्स', जिसे 'एरिलाइड' के नाम से भी जाना जाता है (जिसे इसके बाद 'एरिलाइड' या 'विचाराधीन उत्पाद' या 'संबद्ध वस्तु' के रूप में कहा गया है), के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करने के लिए आवेदन दायर किया है।

2. अधिनियम की धारा 9क (5) के संदर्भ में, लागू पाटनरोधी शुल्क, जब तक इसे पहले रद्द न कर दिया गया हो, इसे

लागू किए जाने की तारीख से पांच वर्षों की अवधि के समाप्त होने पर प्रभावी नहीं रहेगा और प्राधिकारी को यह समीक्षा करनी होती है कि शुल्कों की समाप्ति होने पर पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है अथवा नहीं। इसी के अनुसार, प्राधिकारी को यह समीक्षा करनी होती है कि घरेलू उद्योग द्वारा या उनके ओर से किए गए एक विधिवत प्रमाणित अनुरोध के आधार पर, शुल्कों की समाप्ति होने पर पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है अथवा नहीं।

#### क. पृष्ठभूमि

3. प्राधिकारी द्वारा चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में मूल जांच दिनांक 21 अगस्त 2020 की अधिसूचना सं. 6/28/2020-डीजीटीआर के माध्यम से शुरू की गई थी। प्राधिकारी ने दिनांक 19 अगस्त, 2021 को अंतिम जांच परिणामों की अधिसूचना जारी की, जिसमें कि चीन जन. गण. से 'अरोमैटिक या हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड के एसेटो एसीटिल के डेरिवेटिव्स, जिन्हें एरिलाइड्स के नाम से भी जाना जाता है' के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की। दिनांक 14 अक्टूबर 2021 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 60/2021-सीमाशुल्क (एडीडी) के माध्यम से संबद्ध वस्तुओं पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया। उक्त शुल्क 5 वर्षों की अवधि के लिए लगाए गए थे, जब तक कि उन्हें पहले रद्द न किया जाए, और यह 13 अक्टूबर, 2026 को समाप्त हो जाएंगे।

#### ख. विचाराधीन उत्पाद

4. विचाराधीन उत्पाद "अरोमैटिक या हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड के एसेटो एसेटिल डेरिवेटिव" या "एरिलाइड्स" है। मूल जांच के अनुसार, उत्पाद को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया गया है: "8. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "अरोमैटिक या हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड के एसेटो एसेटिल डेरिवेटिव" या "एरिलाइड्स" है। एरिलाइड्स के निम्नलिखित रूप वर्तमान जांच के दायरे में शामिल हैं, जबकि अन्य सभी रूप बाहर हैं:

क. एसेटोएसेटएनिलाइड या एएए;

ख. एसेटोएसेट-मेटा-क्सीलीडाइड या एएएमएक्स;

ग. एसेटोएसेट-ओ-एनिसिडाइड या एएओए;

घ. एसेटोएसेट-ओ-टोलुइडाइड या एएओटी;

ड. एसेटोएसेट-ओ-क्लोरोएनिलाइड या एएओसीए"

5. अन्य सभी प्रकार के एरिलाइड्स उत्पाद की सीमा से बाहर हैं। इस संदर्भ में प्राधिकारी ने निम्नलिखित अनुरोध किया है:

"9..... एरोमैटिक या हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड के विभिन्न प्रकार के एसीटो एसीटिल डेरिवेटिव्स विश्व भर में उत्पादित और बिक्री किए जा सकते हैं। निम्नलिखित अन्य ज्ञात डेरिवेटिव्स हैं जो भारत में उत्पादित होते हैं, तथापि ये उत्पाद विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर हैं क्योंकि ये विशेष अनुकूलित उत्पाद हैं, जिन्हें छोटे पैमाने पर ग्राहकों की विशिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार निर्मित किया जाता है और ऐसे एरिलाइड्स के कोई ज्ञात आयात नहीं हैं:

(i) एएपीए- एसीटोएसेट-पी-एनिसिडाइड

(ii) एएपीसीए - एसीटोएसेट-पी-क्लोरोएनिलाइड

(iii) एनएसीएसए - एसीटोएसेट-पी-क्रेसिडाइन-ओ-सल्फोनिक एसिड

(iv) एएपीसीओए - एसीटोएसेट-पी-क्लोरो-ओ-एनिसिडाइड

(v) सी।डी।ईपी - एन, एन' - (2-क्लोरो-1,4-फेनिलीन) बिस (3-ऑक्सोब्यूटेनएमाइड)

(vi) एएएसपी - पाँट 4 एसीटोएसेटाइलेनएमिनोबेंज़सल्फोनेट

(vii) एएपीटी- एसीटो एसेट पी-टोलुइडाइड

10. निम्नलिखित अन्य ज्ञात एसेटो एसेटिल डेरिवेटिव्स हैं जिनमें एरोमैटिक या हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड शामिल हैं, जिन्हें कम मात्रा में आयात किया जा रहा है, लेकिन इन्हें विचाराधीन उत्पाद की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि ये भी सीमा शुल्क-निर्मित उत्पाद के प्रकार हैं और घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित नहीं किए जा रहे हैं।

i. 2',5'-डाइमिथाॉक्सी-4'-क्लोरो-एसेटोएसेटानिलाइड, नैफथोल एएसआईआरजी और

ii. 5-एसेटोएसेटिल अमिनोबेंज़िमिडाजोलोन, 5-एएबीआई

6. विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 के तहत उप-शीर्ष 292429 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। यह देखने में आया है कि संबद्ध वस्तुएं जांच की अवधि के दौरान अन्य कोड, अर्थात् 29242920, 29242990 और 2924 2930 के तहत आयात की गई हैं। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और

विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

7. आवेदक ने उत्पाद के दायरे के भीतर शामिल उत्पाद प्रकारों के आधार पर निम्नलिखित पीसीएन प्रस्तावित किए हैं:

क. एसेटोएसेटएनिलाइड या एएए;

ख. एसेटोएसेट-मेटा-क्सीलीडाइड या एएएमएक्स;

ग. एसेटोएसेट-ओ-एनिसिडाइड या एएओए;

घ. एसेटोएसेट-ओ-टोलुइडाइड या एएओटी;

ड. एसेटोएसेट-ओ-क्लोरोएनिलाइड या एएओसीए

8. यह दावा किया गया है कि इस अवधि में कोई महत्वपूर्ण विकास नहीं हुआ है। वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच होने के नाते, विचाराधीन उत्पाद वही रहता है जैसा कि मूल जांच में परिभाषित किया गया था।

**ग. समान वस्तु**

9. आवेदक ने यह अनुरोध किया है कि आवेदक द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से निर्यात किए गए उत्पाद में कोई विशेष अंतर नहीं है। आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देश से आयातित उत्पाद, भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, निर्माण प्रक्रिया और तकनीक, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा संबद्ध वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के मामले में तुलनीय हैं। संबद्ध वस्तुएं और आवेदक द्वारा निर्मित उत्पाद तकनीकी और व्यावसायिक रूप से एक-दूसरे के स्थान पर उपयोग किए जा सकते हैं। आवेदक ने यह दावा किया है कि विचाराधीन उत्पाद के उपभोक्ता, संबद्ध वस्तुओं और आवेदक द्वारा निर्मित उत्पाद का उपयोग एक-दूसरे के स्थान पर (अदला-बदली करके) कर रहे हैं। 'समान उत्पाद' के मामले की जांच प्राधिकारी द्वारा मूल जांच में पहले ही की जा चुकी है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद, संबद्ध देश से उत्पादित और आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान उत्पाद है।

**घ. संबद्ध देश**

10. वर्तमान 'निर्णायक समीक्षा जांच' के लिए संबद्ध देश चीन जन. गण. है।

**ड. जांच की अवधि**

11. वर्तमान जांच के लिए 'जांच की अवधि' (पीओआई) 01 अक्टूबर 2024 से 30 सितंबर 2025 (12 माह) तक है। 'क्षति जांच की अवधि' में वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 और वर्तमान जांच की अवधि शामिल होगी।

**च. घरेलू उद्योग और स्थिति**

12. यह आवेदन मैसर्स लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक भारत में संबद्ध वस्तुओं का एकमात्र उत्पादक है। रिकॉर्ड पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, आवेदक का उत्पादन, समान वस्तु के कुल भारतीय उत्पादन का प्रतिनिधित्व करता है। आवेदक ने प्रमाणित किया है कि उन्होंने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है और न ही वे संबद्ध वस्तुओं के किसी निर्यातक या आयातक से संबंधित हैं।

13. उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए और उपलब्ध जानकारी के आधार पर, प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि यह आवेदन नियमावली के नियम 2(ख) और नियम 5(3) के तात्पर्य से, घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किया गया है।

**छ. पाटन की संभावना और उसके जारी रहने या पुनरावृत्ति होने का आधार**

**क) सामान्य मूल्य**

14. आवेदक ने चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(i) का संदर्भ दिया है और उस पर भरोसा किया है। आवेदक ने यह अनुरोध किया है कि चीन जन. गण. के उत्पादकों से यह प्रदर्शित करने के लिए कहा जाना चाहिए कि विचाराधीन उत्पाद के निर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में, नियमों के अनुबंध। के पैरा 8(3) के अनुसार, संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योग में बाज़ार अर्थव्यवस्था की स्थितियां मौजूद हैं। घरेलू उद्योग द्वारा यह कहा गया है कि यदि उत्तर देने वाले चीन के उत्पादक यह प्रदर्शित करने में असमर्थ रहते हैं कि उनकी लागत और मूल्य की जानकारी बाज़ार-आधारित है, तो सामान्य मूल्य की गणना नियमों के अनुबंध। के पैरा 7 और 8 के प्रावधानों के अनुसार की जानी चाहिए।

15. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि बाज़ार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में लागत या कीमत से जुड़ा डेटा उपलब्ध नहीं है। चूंकि विचाराधीन वस्तुओं का कोई विशेष कस्टम वर्गीकरण नहीं है, इसलिए बाज़ार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश से किसी अन्य देश में आयात कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सका। इसके अलावा, भारत में आयात मुख्य रूप से चीन जन.गण. से होता है, जिसमें जापान से आयात 3% से भी कम है, जिससे ऐसा आयात अप्रतिनिधिक हो जाता है। इसलिए, घरेलू उद्योग ने चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य भारत में देय कीमत के आधार पर निर्धारित किया है, जिसमें भारत में उत्पादन लागत के सर्वोत्तम अनुमानों को ध्यान में रखा गया है, साथ ही बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों तथा उचित लाभ के लिए उचित वृद्धि भी की गई है। जांच शुरू करने के उद्देश्य से

इसी बात पर विचार किया गया है।

### ख) निर्यात कीमत

16. आवेदक ने बाज़ार की जानकारी के अनुसार, जांच की अवधि के दौरान आयात की मात्रा और मूल्य को ध्यान में रखते हुए विचाराधीन देश के लिए निर्यात कीमत निर्धारित की है। हालांकि, वर्तमान जांच शुरू करने के उद्देश्यों के लिए, प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस के लेनदेन-वार डेटा पर विचार किया है। समुद्री माल-भाड़ा, शिपिंग लाइन खर्च, समुद्री बीमा, बैंक शुल्क, बंदरगाह खर्च, आंतरिक माल-भाड़ा खर्च, ऋण लागत और वस्तुसूची रखने की लागत के लिए समायोजन किए गए हैं।

### ग) पाटन मार्जिन

17. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखाना बाह्य स्तर पर की गई है, जिससे प्रथम दृष्टया यह पता चलता है कि पाटन मार्जिन 'डी-मिनिमिस' (न्यूनतम) स्तर से ऊपर बना हुआ है और विचाराधीन देश से निर्यात किए जा रहे उत्पाद के संबंध में यह काफी अधिक है। इस प्रकार, प्रथम दृष्टया यह साक्ष्य मौजूद है कि विचाराधीन देश के निर्यातक भारतीय बाज़ार में उस देश के उत्पाद का पाटन करना जारी रखे हुए हैं।

### ज. क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना और कारणात्मक संबंध

18. आवेदक द्वारा दी गई जानकारी से यह पता चलता है कि आयात की मात्रा काफी अधिक बनी हुई है। आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में कमी आ रही है और घरेलू उद्योग पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। आवेदक ने यह दावा किया है कि संबद्ध वस्तुओं की लगातार मौजूदगी के कारण, उनका प्रदर्शन खराब हुआ है। आवेदक को वित्तीय क्षति, नकदी का नुकसान और लगाई गई पूंजी पर नकारात्मक प्रतिफल का सामना करना पड़ रहा है। आवेदक ने पाटित किए गए और क्षतिकारी आयातों की लगातार महत्वपूर्ण मौजूदगी, संबद्ध आयातों द्वारा बाज़ार के बड़े हिस्से पर कब्जा, कीमतों में कटौती और आयातों के कारण कीमतों में गिरावट का प्रभाव तथा घरेलू उद्योग की संवेदनशीलता के संबंध में भी जानकारी दी है; ये ऐसे कारक हैं जो पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति होने की संभावना को सिद्ध करते हैं।

19. आवेदक द्वारा दी गई जानकारी, प्रथम दृष्टया, यह दर्शाती है कि पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में संबद्ध देश से पाटन जारी रहने और उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है।

### झ. पाटनरोधी जांच की शुरुआत

20. घरेलू उद्योग द्वारा या उनकी ओर से, निर्धारित प्रारूप और तरीके से दायर किए गए विधिवत समर्थित आवेदन के आधार पर और घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्यों के आधार पर संतुष्ट होने के बाद, जो पाटन के जारी रहने और घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना को पृष्ट करते हैं तथा अधिनियम की धारा 9क(5) के साथ पठित नियमावली के नियम 23 (1) के अनुसार, प्राधिकारी एतद्वारा एक 'निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करते हैं। वर्तमान जांच का उद्देश्य संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यात की गई संबद्ध वस्तुओं के संबंध में, वर्तमान में लागू शुल्कों को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करना है; साथ ही यह भी जांच करना है कि क्या ऐसे शुल्क की अवधि समाप्त होने से पाटन और घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

### ञ. प्रक्रिया

21. इस जांच में पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 में निर्धारित प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

### ट. सूचना की प्रस्तुति

22. सभी हितबद्ध पक्षकारों को सेतु पोर्टल (<https://setu.dgtr.gov.in>) पर अपना पंजीकरण कराना आवश्यक है। हितबद्ध पक्षकारों के साथ सभी पत्राचार और अनुरोध उनके पंजीकृत नाम और संबंधित केस आईडी AD/SSR/002/2026 के तहत सेतु पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक भाग सर्चयोग्य पीडीएफ/ एमएस-वर्ड प्रारूप में हो और डेटा फ़ाइलें एमएस-एक्सेल प्रारूप में हों।

23. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों संबद्ध देश की सरकार को भारत स्थित उसके दूतावास के माध्यम से, और भारत में उत्पाद से संबद्ध ज्ञात आयातकों और उपयोगकर्ताओं को अलग-अलग सूचित किया जा रहा है ताकि वे इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर सभी संबंधित जानकारी प्रस्तुत कर सकें। इस तरह की समस्त जानकारी इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमों, और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचना में उल्लिखित रूप में और तरीके के अनुसार प्रस्तुत की जानी चाहिए।

24. कोई भी अन्य हितबद्ध पक्षकार वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी अनुरोध इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमों और प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं द्वारा निर्धारित रूप में और निर्धारित तरीके से इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत कर सकता है।

25. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्राधिकारी के समक्ष कोई भी गोपनीय अनुरोध प्रस्तुत किए जाने पर यह आवश्यक है कि वही पक्षकार उसकी अगोपनीय प्रति अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिए उपलब्ध कराए।

26. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी परामर्श दिया जाता है कि वे इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन जानकारी के लिए व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट [www.dgtr.gov.in](http://www.dgtr.gov.in) और सेतु पोर्टल (<https://setu.dgtr.gov.in>) पर नियमित रूप से दृष्टि रखें और इस संबद्ध जांच में आगे की कार्रवाई से अवगत रहें और समय-समय पर जारी की जाने वाली प्रश्नावली के स्वरूप, मौखिक सुनवाई की सूचना, शुद्धिपत्र सूचना, संशोधन की अधिसूचना और अन्य इसी प्रकार की जानकारी के बारे में अवगत रहें।

#### ठ. समय सीमा

27. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी जानकारी उनके पंजीकृत नाम और संबंधित मामले की आईडी AD/SSR/002/2026 के तहत सेतु पोर्टल (<https://setu.dgtr.gov.in>) पर अपलोड की जानी चाहिए। प्रत्येक अनुरोध के दोनों पाठों, गोपनीय पाठ (सीवी) और अगोपनीय पाठ (एनसीवी), को निर्दिष्ट कॉलम में अपलोड किया जाना आवश्यक है और यह अपलोड उस तारीख से 37 दिनों के भीतर करना होगा जब घरेलू उद्योग द्वारा दायर किए गए आवेदन का अगोपनीय पाठ प्राधिकारी द्वारा प्रसारित किया जाएगा या पाटनरोधी नियमावली 1995 के नियम 6(4) के अनुसार निर्यातक देश के उपयुक्त रणनीतिक प्रतिनिधि को भेजा जाएगा। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त जानकारी अधूरी होती है, तो प्राधिकारी उपलब्ध रिकॉर्ड और पाटनरोधी नियमावली 1995 के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

28. सभी हितबद्ध पक्षकारों को यह परामर्श दिया जाता है कि वे तत्काल मामले में अपने हित (हित की प्रकृति सहित) के संबंध में सूचित करें और इस सूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर केवल सेतु पोर्टल के माध्यम से अपना प्रश्नावली उत्तर प्रस्तुत करें।

29. किसी भी समय विस्तार के लिए अनुरोध संबद्ध पक्षकार द्वारा सेतु पोर्टल के माध्यम से उपरोक्त पैरा 26 में निर्दिष्ट मूल समयसीमा से कम से कम एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस समय के बाद प्रस्तुत किए गए अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

#### ड. गोपनीय आधार पर सूचना की प्रस्तुति

30. जहां वर्तमान जांच का कोई पक्षकार गोपनीय अनुरोध करता है या प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय आधार पर जानकारी प्रदान करता है, तो ऐसे पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) के संदर्भ में और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचना के अनुसार ऐसी जानकारी का एक अगोपनीय पाठ एक साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है। उपरोक्त का पालन करने में विफलता के कारण उत्तर/ अनुरोधों को अस्वीकार किया जा सकता है।

31. प्रश्नावली के उत्तरों सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई भी अनुरोध (परिशिष्ट/ अनुलग्नक सहित) करने वाले पक्षकारों को गोपनीय और अगोपनीय पाठ अलग-अलग दाखिल करने की आवश्यकता होती है।

32. ऐसे अनुरोधों के प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर स्पष्ट रूप से 'गोपनीय' या 'अगोपनीय' के रूप में अंकित किया जाना चाहिए। किसी भी अनुरोध को जो इस प्रकार के अंकन के बिना प्राधिकारी को प्रस्तुत किया गया है, प्राधिकारी द्वारा 'अगोपनीय' जानकारी के रूप में माना जाएगा, और प्राधिकारी को इस बात की स्वतंत्रता होगी कि वह अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोधों का निरीक्षण करने की अनुमति प्रदान करें।

33. गोपनीय पाठ में सभी जानकारी शामिल होगी जो गोपनीय प्रकृति की है, और/ या अन्य जानकारी जो उस जानकारी के प्रदाता द्वारा गोपनीय बताई जाती है। ऐसी जानकारी जो गोपनीय प्रकृति की बताई जाती है, या ऐसी जानकारी जिसके बारे में अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया गया है, उस जानकारी के प्रदाता को वह जानकारी प्रस्तुत करते समय एक उचित कारण का विवरण भी प्रदान करना आवश्यक है कि ऐसी जानकारी क्यों प्रकट नहीं की जा सकती।

34. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दाखिल की गई जानकारी का अगोपनीय पाठ गोपनीय पाठ की एक प्रतिकृति होना चाहिए, जिसमें गोपनीय जानकारी को वरीयता के साथ सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ा जाए (जहाँ सूचीबद्ध करना संभव न हो) और ऐसी जानकारी का उचित और पर्याप्त सारांश दिया जाना चाहिए, जो इस बात पर निर्भर करता है कि किस जानकारी पर गोपनीयता का दावा किया गया है।

35. अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तार में होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रदान की गई जानकारी की सामग्री को उचित रूप से समझा जा सके। तथापि, असाधारण परिस्थितियों में, गोपनीय जानकारी प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह संकेत कर सकता है कि ऐसी जानकारी का सारांश तैयार करना संभव नहीं है और कारणों का ऐसा विवरण प्रदान करना आवश्यक है जिसमें यह स्पष्ट और पर्याप्त रूप से समझाया गया हो कि ऐसा सारांश तैयार करना क्यों संभव नहीं है, और यह विवरण प्राधिकारी के लिए संतोषजनक होना चाहिए।

36. हितबद्ध पक्षकार दस्तावेजों के अगोपनीय पाठ के प्रसार की तारीख से 7 दिनों के भीतर गोपनीयता से संबंधित मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं।

37. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई जानकारी की प्रकृति की जांच के संबंध में गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध उचित नहीं है या यदि जानकारी

का प्रदाता जानकारी को सार्वजनिक करने या इसके विशिष्ट या सारांश रूप में प्रकटीकरण को अधिकृत करने के लिए अनिच्छुक है, तो यह ऐसी जानकारी की अनदेखी कर सकता है।

38. किसी भी अनुरोध को, जिसमें इसका कोई सार्थक अगोपनीय पाठ नहीं है या जिसमें नियमावली के नियम 7 के अनुसार पर्याप्त और उचित कारण का विवरण नहीं है, और प्राधिकारी द्वारा जारी की गई उचित व्यापार सूचना को, गोपनीयता के दावे पर, प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

#### द्व. सार्वजनिक फ़ाइल का निरीक्षण

39. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा किए गए अनुरोधों के सभी अगोपनीय पाठ अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिए सेतु पोर्टल पर उनके संबंधित लॉगिन के माध्यम से सुलभ होंगे।

#### ण. असहयोग

40. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार इस जांच शुरुआत अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की गई उचित अवधि के भीतर आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं करता है या जांच में महत्वपूर्ण रूप से बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणामों को दर्ज कर सकते हैं तथा केंद्र सरकार को ऐसी यथाउपयुक्त सिफारिशें कर सकते हैं।

अमिताभ कुमार, निर्दिष्ट प्राधिकारी

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

### INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 19th March, 2026

(Case No. AD(SSR) 01/2026)

(SETU case ID AD/SSR/002/2026)

**Subject: Initiation of sunset review investigation concerning imports of Aceto Acetyl Derivatives of Aromatic or Hetrocyclic Compounds also known as Arylides from China PR.**

1. **F. No. 7/04/2026-DGTR.**—Having regards to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred as the 'Act') and the Customs Tariff (Identification, Assessment, and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the 'Rules'), M/s Laxmi Organics Industries Limited (hereinafter referred to as the 'Applicant') has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the 'Authority'), for initiation of sunset review investigation of anti-dumping duty on the imports of "Aceto Acetyl Derivatives", also known as "Arylides" (hereinafter referred to as the 'arylides' or 'product under consideration' or 'subject goods'), originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as "subject country").
2. In terms of Section 9A (5) of the Act, the anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition, and the Authority is required to review whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. In accordance with the same, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry as to whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

#### A. Background

3. The original investigation concerning imports of the subject goods from China PR was initiated by the Authority on 21<sup>st</sup> August 2020, vide Notification No. 6/28/2020-DGTR. The Authority notified final findings on 19th August, 2021 recommending definitive antidumping duty on imports of 'Aceto Acetyl Derivatives of aromatic or hetrocyclic compounds also known as Arylides' from China PR. The definitive antidumping duty was imposed on the subject goods vide Customs Notification No. 60/2021-Customs (ADD) dated 14<sup>th</sup> October 2021. The said duties were levied for a period of 5 years, unless revoked earlier, and are set to expire on 13<sup>th</sup> October, 2026.

#### B. Product Under Consideration

4. The product under consideration is "Aceto Acetyl Derivatives of aromatic or heterocyclic compounds" or "Arylides". As per the original investigation, the product has been defined as under:

“8. The product under consideration in the present investigation is “Aceto Acetyl Derivatives of aromatic or heterocyclic compounds” or “Arylides”. The following forms of arylides are included within the scope of the present investigation whilst all other forms are excluded:

- a. Acetoacetanilide or AAA;
- b. Acetoacet-meta-xylylide or AAMX;
- c. Acetoacet-o-anisidide or AAOA;
- d. Acetoacet-O-Toluidide or AAOT;
- e. Acetoacet-O-chloroanilide or AAOCA.”

5. All other forms of arylides are excluded from the product scope. The Authority stated as follows in this regard:

“9. ....there can be various kinds of Aceto Acetyl Derivatives of aromatic or heterocyclic compounds produced and sold globally. Following are the other known derivatives that are produced in India, however, are beyond the scope of the product under consideration as these are speciality custom made products, produced in small volume, as per the specific requirements of the customers and there are no known imports of such arylides:

- (i) AAPA - Acetoacet-p-anisidide
- (ii) AAPCA - Acetoacet-p-chloroanilide
- (iii) NACSA - Acetoacet-p-cresidine-o-sulfonic acid
- (iv) AAPCOA - Acetoacet-p-chloro-o-anisidide
- (v) Cl-DAEP - N, N' - (2-chloro-1,4-phenylene) bis (3-oxobutaneamide)
- (vi) AASP - Pot 4 Acetoacetylaminobenzulfonate
- (vii) AAPT - Aceto Acet P-Toluidide

10. Following are the other known Aceto acetyl derivatives of aromatic or heterocyclic compounds that are being imported in small volume, but have not been included in the scope of product under consideration for the reason being these are also custom-made product types and are not being manufactured by the domestic industry.

- i. 2',5'-Dimethoxy-4'-chloro-Acetoacetanilide, Naphthol ASIRG and
- ii. 5-Acetoacetyl aminobenzimidazolone, 5-AABI”

6. The product under consideration is classified under Chapter 29 of Customs Tariff Act, 1975 under the sub heading 292429. It is seen that subject goods have been imported under other codes, namely, 29242920, 29242990 and 29242930 during the POI. The customs classification is indicative only and not binding on the scope of the product under consideration.

7. The applicant has proposed the following PCNs based on product types included within the product scope:

- a. Acetoacetanilide or AAA;
- b. Acetoacet-meta-xylylide or AAMX;
- c. Acetoacet-o-anisidide or AAOA;
- d. Acetoacet-O-Toluidide or AAOT;
- e. Acetoacet-O-chloroanilide or AAOCA.

8. It has been contended that no significant developments have taken place over the period. The present investigation being a sunset review investigation, product under consideration remains the same as defined in the original investigation.

### C. Like Article

9. The applicant has submitted that there are no significant differences in the article produced by the applicant and exported from the subject country. The article produced by the applicant and that imported from the subject country is comparable in terms of physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution and marketing, and tariff classification of the subject goods. The subject goods and the article manufactured by the applicant are technically and commercially substitutable. The applicant has claimed that the consumers of the product under consideration are using the subject goods and the article manufactured by the applicant interchangeably. The issue of like article has already been examined by the Authority in the original investigation. Thus, the product produced by the domestic industry is like article to the product under consideration produced and imported from the subject country.

**D. Subject Country**

10. The subject country for the present sunset review investigation is China PR.

**E. Period of Investigation**

11. The period of investigation (POI) for the present investigation is 1<sup>st</sup> October 2024 to 30<sup>th</sup> September 2025 (12 months). The injury investigation period shall cover the period from 2022-23, 2023-24, 2024-25 and the period of investigation.

**F. Domestic Industry and Standing**

12. The application has been filed by M/s Laxmi Organic Industries Limited. The applicant has claimed that they are the sole producer of the subject goods in India. As per information available on record, the production of the applicant accounts for total Indian production of the like article. The applicant has certified that they have not imported the subject goods from the subject country nor are they related to any exporter or importer of the subject goods.

13. In view of the above and on the basis of information available, the Authority is satisfied that the application has been made by or on behalf of the domestic industry within the meaning of Rule 2(b) and Rule 5(3) of the Rules.

**G. Basis of likelihood and continuation or recurrence of dumping****a) Normal Value**

14. The Applicant has cited and relied upon Article 15(a)(i) of China's Accession Protocol. The applicant has submitted that the producers in China PR must be asked to demonstrate that market economy conditions prevail in the industry producing the subject goods in terms of Para 8(3) of Annexure I of the Rules with regard to the manufacture, production and sale of the product under consideration. It has been stated by the domestic industry that in case the responding Chinese producers are not able to demonstrate that their costs and price information are market driven, the normal value should be calculated in terms of provisions of para 7 and 8 of Annexure I to the Rules.

15. The domestic industry has claimed that the data relating to cost or price in market economy third country are not available. Since the subject goods do not have a dedicated customs classification, normal value could not be determined based on import price from a market economy third country to other country. Further, imports into India are predominantly from China PR with less than 3% imports from Japan making such imports unrepresentative. Therefore, the domestic industry has determined normal value for China PR based on price payable in India considering the best estimates of cost of production in India with reasonable addition for selling, general and administrative expenses, and reasonable profits. The same has been considered for the purpose of initiation of the investigation.

**b) Export Price**

16. The applicant has determined export price for the subject country considering the volume and value of imports during period of investigation, as per market intelligence. However, for the purposes of the present initiation, the Authority has considered DGCI&S transaction-wise data. Adjustments have been made for ocean freight, shipping line expenses, marine insurance, bank charges, port expenses and inland freight expenses.

**c) Dumping Margin**

17. The normal value and the export price have been compared at ex-factory level, which *prima facie* shows that the dumping margin continues to be above the de-minimis level and is significant with respect to the product under consideration exported from the subject country. Thus, there is *prima facie* evidence that the product under consideration from the subject country continues to be dumped in the Indian market by the exporters from the subject country.

**H. Likelihood of continuation or recurrence of injury and casual link**

18. Information furnished by the applicant shows that the volume of imports continued to remain significant. Imports are undercutting the prices of the domestic industry and are having depressing effect on the domestic industry. The applicant has claimed that due to continued presence of subject goods, their performance has deteriorated. The applicant is suffering from financial losses, cash loss and negative return on capital employed. The applicant has also provided information with regard to continued significant presence of dumped and injurious imports, significant share of market captured by subject imports, price undercutting and price depressing effect of imports, and vulnerability of the domestic industry as factors establishing likelihood of dumping and injury to the domestic industry in the event of cessation of antidumping duties.

19. The information provided by the applicant, *prima facie*, shows likelihood of continuation of dumping from subject country and consequent injury to the domestic industry in case of cessation of the anti-dumping duties.

**I. Initiation of the anti-dumping investigation**

20. On the basis of the duly substantiated application filed by or on behalf of the domestic industry, in the form and manner prescribed and having reached satisfaction based on the *prima facie* evidence submitted by the domestic industry, substantiating the likelihood of continuation of dumping and injury to the domestic industry, and in accordance with Section 9A(5) of the Act read with Rule 23 (1) of the Rules, the Authority hereby initiates a sunset review investigation to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject country, and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

**J. Procedure**

21. The provisions stipulated in Rule 6 of the AD Rules shall be followed in this investigation.

**K. Submission of information**

22. All the interested parties are required to register themselves on the SETU Portal (<https://setu.dgtr.gov.in>). All communications and submissions from the interested parties shall be uploaded on the SETU portal under their registered name and SETU case ID AD/SSR/002/2026. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format.
23. The known producers/exporters in subject country, the government of subject country through its Embassy in India, and the importers and users in India who are known to be associated with the product under consideration are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits mentioned in this initiation notification. All such information must be filed in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority.
24. Any other interested party may also make a submission relevant to the present investigation in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority within the time limits mentioned in this initiation notification.
25. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.
26. The interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Directorate General of Trade Remedies at [www.dgtr.gov.in](http://www.dgtr.gov.in) and the SETU portal (<https://setu.dgtr.gov.in>) for any updated information with respect to this investigation. Interested parties are directed to regularly visit the website of DGTR (<https://www.dgtr.gov.in/>) to stay apprised with the further developments in the subject investigation and remain informed regarding notices that may be issued from time to time regarding questionnaire formats, notice of oral hearing, corrigendum, amendment notifications, and other such information.

**L. Time Limit**

27. Any information relating to the present investigation should be uploaded on the SETU portal (<https://setu.dgtr.gov.in>) under their registered name and SETU case ID AD/SSR/002/2026. Both versions of each submission, the confidential version (CV) and the non-confidential version (NCV) must be uploaded in the respective designated columns within 37 days from the date on which the nonconfidential version of the application filed by the domestic industry would be circulated by the Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country as per Rule 6(4) of the AD Rules, 1995. If no information is received within the stipulated time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings based on the facts available on record and in accordance with the AD Rules, 1995.
28. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit as stipulated in this notification through SETU portal only.
29. Any request for an extension must be submitted by the concerned parties through the SETU portal at least one day before the original deadline specified above. Requests submitted after this time will not be considered.

**M. Submission of Information on Confidential Basis**

30. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, such party is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 7(2) of the Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response/submissions.
31. The parties making any submission (including Appendices/Annexes attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file confidential and non-confidential versions separately.

32. Such submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as 'non-confidential' information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.
33. The confidential version shall contain all information that is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information that is claimed to be confidential by nature, or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
34. The non-confidential version of the information filed by the interested parties should be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.
35. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.
36. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality within 7 days from the date of circulation of the non-confidential version of the documents.
37. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
38. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 7 of the Rules, and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

**N. Inspection of Public File**

39. All non-confidential versions of submissions made by any interested party will be accessible to other interested parties through their respective login on the SETU portal.

**O. Non-Cooperation**

40. In case any interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available and make such recommendations to the Central Government as it deems fit.

AMITABH KUMAR, Designated Authority